



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 9 नवम्बर, 2020

कार्तिक 18, 1942 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,  
ASHOKA ROAD,  
NEW DELHI-110001

9<sup>th</sup> November, 2020

Dated : \_\_\_\_\_  
18 Kartika, 1942 (Saka)

### NOTIFICATION

**No. 434/UP-LA/2014(1) :** -In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, hereby, appoints the officers of the Government specified in Column (2) of the Table below, as the Assistant Returning Officers, in addition to the existing Assistant Returning Officers notified *vide* Commission's Notification no. 434/UP-LA/2014(1), dated 19<sup>th</sup> February, 2014, as amended from time to time, to assist the Returning Officers of the Assembly Constituencies in the State of Uttar Pradesh, as specified in the Column (1) of the said Table, for the execution of their works with respect to the Counting of Votes, for the ongoing Bye Elections from the Assembly Constituencies mentioned in Column (1) of the Table.

### TABLE

Number and Name of Assembly Constituency (1)	Additional Assistant Returning Officer for Counting (2)
40-Naugawan Sadat	2-Deputy Collector, Amroha 3-Deputy Collector/Special Land Acquisition Officer, Amroha
65-Bulandshahr	5-Sub Divisional Officer, Anoopshahr

2. The above Officers shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the completion of process of Counting of Votes in the ongoing bye-elections from the abovementioned assembly constituencies.

By order,

PUSHPA N. LAKRA,

Secretary,

Election Commission of India.

By order,

AJAY KUMAR SHUKLA,

Secretary.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001  
तारीख: 9 नवम्बर, 2020  
18 कार्तिक, 1942 (शक)

### अधिसूचना

**सं० 434/उ०प्र०-वि०स०/2014(1)** :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा अपनी अधिसूचना संख्या 434/उ०प्र०-वि०स०/2014(1) दिनांक 19 फरवरी, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित, के द्वारा अधिसूचित मौजूदा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की, तालिका के स्तम्भ (1) में उल्लिखित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रचलित उप-निर्वाचन में मतगणना के कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :-

### सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम-संख्या व नाम	मतगणना हेतु अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
40-नौगावां सादात	2-डिप्टी कलेक्टर, अमरोहा 3-डिप्टी कलेक्टर/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अमरोहा
65-बुलन्दशहर	5-उप जिलाधिकारी, अनूपशहर

2-उपर्युक्त अधिकारी उक्त विधान सभा क्षेत्रों से प्रचलित उप-निर्वाचनों में मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के तुरन्त बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

आदेश से,  
पुष्पा एन० लकड़ा,  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव।